# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 19/2022

बउनवान

तोला राम आयु 60 वर्ष पुत्र श्री धन्नालाल, जाति मीणा निवासी ग्राम उण्डा तहसील बारां जिला–बारां (राज0)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार बारां, जिला बारां

(रेस्पोंडेंट)

जिला कलक्टर न्यायालय बारां (राज0)

**अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956**

उपस्थिति :–1. श्री ज्ञान प्रकाश शर्मा, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

**निर्णय दिनांक 18.08.2022**

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 25.02.2022 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–उण्डा तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 281 रकबा 0.20 है. किस्म गै.मु. रास्ता पर अतिक्रमी मानकर 100/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एंव पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये बगैर हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार के आधार पर सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बेदखलीनामा व पैमाईश रिपोर्ट शामिल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का वर्णित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.02.2022 निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलक्टर बारां (राज0)

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कि[illegible] रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायाल[illegible] किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण बहस हेतु निय[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.08 15:06:24 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए। अपीलांट स्वंय भी अनुपस्थित है। ऐसी स्थिति में हमने पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस समाअत कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्‌वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में भी उक्त आराजी पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 297/2020 निर्णय दिनांक 04.03.2020 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के संबंध में हल्का पटवारी के बयान के अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण संलग्न नहीं किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना हम उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 200/2022 में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2022 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा नायब तहसीलदार, बारां के समक्ष एक माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 25.02.2022 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2022 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.08 15:06:24 IST
Reason: SelfAttested